

आवेदन पत्र

1. फर्म का नाम :
2. प्रोपराइटर/निदेशक/पार्टनर का नाम :
3. फर्म की विधिक स्थिति (प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/Companies Act, 2013/सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1956 एवं 1960) के अंतर्गत पंजीयन की स्थिति :
4. पूरा पता :
5. दूरभाष : मोबाइल नं0 :
6. ईमेल :
7. आयकर पंजीकरण संख्या :
8. जी एस टी एन पंजीयन :
9. MSME/URC सं (यदि है) :
10. स्थापना वर्ष :
11. वार्षिक टर्न ओवर (विगत 03 वर्ष का) :
12. आयकर रिटर्न / बैलेंस शीट (विगत 03 वर्ष का) :
13. अनुभव :
14. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री/इन्फ्रास्ट्रक्चर का विवरण :
1. ट्रेनिंग हॉल/फर्नीचर
2. प्रतिभागियों के ठहरने हेतु आवासीय व्यवस्था
- 15.

क्र0 सं0	उपलब्ध कराये जाने वाले इन्फ्रा/सुविधा का नाम	विवरण	जनपद का नाम	योजना का नाम
01	02	03	04	05
01.				
02.				
03.				
04.				
05.				

भवदीय,

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
संस्था/फर्म का नाम एवं पदनाम व मुहर।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के तत्वाधान में उद्यमिता विकास संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा समस्त/कतिपय जनपदों में एक जनपद एक उत्पाद/विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित कराये जाने हेतु ट्रेनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स की आवश्यकता है। इस हेतु ट्रेनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स को इम्पैनेल किया जाना है। निम्नलिखित सामग्री/व्यवस्थाएं की जानी होगी :-

प्रशिक्षण स्थल :-

01. एक प्रशिक्षण कक्ष जिसमें 25 प्रतिभागियों के बैठने की व्यवस्था हो।
02. अतिथि संकाय सदस्य को बैठने हेतु कुर्सी एवं टेबल उपलब्ध कराना।
03. प्रतिभागियों को कक्षा सत्र के दौरान ब्लैक बोर्ड एवं डस्टर उपलब्ध हो।
04. प्रशिक्षण कक्ष में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो।
05. तकनीकी सत्र हेतु एक अतिरिक्त हॉल की व्यवस्था हो। जिसमें विभिन्न ट्रेडों में मशीन एवं उपकरण के माध्यम से सिखाया जा सके।
06. शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो।
07. पुरुष एवं महिला/बालिकाओं हेतु अलग-अलग टॉयलेट की व्यवस्था हो।
08. प्रतिभागियों की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था हो।
09. प्रतिभागियों के आवागमन हेतु सुचारू व्यवस्था हो।
10. आवश्यकता पड़ने पर उपस्थिति हेतु बायोमैट्रिक मशीन उपलब्ध कराना होगा।

आवासीय व्यवस्था :-

01. प्रत्येक बैच के 25 प्रतिभागियों के रात्रि विश्राम हेतु सुगमतापूर्ण पुरुष एवं महिलाओं हेतु अलग-अलग आवासीय व्यवस्था जिसमें कमरा, बेड, गद्दा, तकिया, चादर आदि की व्यवस्था हो।
02. सभी प्रतिभागियों (पुरुष/महिला) हेतु अलग-अलग शौचालय एवं स्नानघर की व्यवस्था।
03. पर्याप्त मात्रा में रोशनी की व्यवस्था करना।
04. सभी प्रतिभागियों के ठहरने वाले स्थान पर सुरक्षागार्ड की व्यवस्था।
05. सभी प्रतिभागियों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो।
06. पर्याप्त मात्रा में पंखा/कूलर की व्यवस्था।